न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –108/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2023/122

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस्
भंवरूराम पुत्र भागुराम जाति–जाट,निवासी–मोकलपुर, तहसील–मेड़ता		1. हरदीनराम पुत्र भोलाराम 2. गोपालराम पुत्र भोलाराम फौत के का0मु0 2/1 रामनिवास पुत्र गोपालराम 2/2 श्रवणराम पुत्र गोपालराम 2/3 कमलादेवी पुत्री गोपालराम 3. गेकुड़ी पत्नी लिखमाराम सभी जाति–जाट,निवासीगण–मोकलपुर,तहसील–मेड़ता 4. तहसीलदार,मेड़ता ।

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री रमेश कुमार ढाका।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–1,2/1 से 2/3 की ओर से वकील श्री भरतकुमार ओझा।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री डूंगरराम।

:: निर्णय :: दिनांक :– 12/09/2023

अपीलान्ट द्वारा धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय तहसीलदार, मेड़ता द्वारा प्रकरण संख्या 520/1972 प्रार्थीगण भागूराम वगैरा पुत्र भोलाराम में भूमि का धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाड़ा के संबंध में तहसीलदार,मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.1972 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 27.06.2023 को प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाण्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा बावजूद तामिल इस अपील की कार्यवाही में भाग नहीं लिया हैं।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मयाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 5 लिमिटेशन में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे बहस में यह कथन किया कि मौजा मौकलपुर में स्थित गत खसरा नम्बर 42 रकबा 75 बीघा 19 बिस्वा भूमि भागु पुत्र भोला जाट के कब्जे काश्त व खातेदारी की रहती आई हैं,उक्त भूमि के वर्तमान में खसरा नम्बर 196,197,198,199,200 मौजा मौकलपुर में स्थित हैं। उक्त भूमि के बंटवाड़ा के संबंध में माननीय तहसीलदार,मेड़ता को क्षेत्राधिकार नहीं होने के बावजूद अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर बंटवाड़ा के आदेश पारित कर दिया,जो विधि विरूद्ध हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

वादग्रस्त भूमि पर आज दिन भी अपीलांट ही काबिज काश्त हैं। हाल ही में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन प्रवेश कर अपीलांट की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया तो अपीलांट ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तब रेस्पो. ने कहा कि उक्त भूमि का बंटवाड़ा करवा रखा हैं तथा हमारे भी नाम से खातेदारी दर्ज है,तब अपीलांट ने इस संबंध में जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि तहसीलदार जी ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं। चूंकि अपीलांट ग्रामीण परिवेश के रहने वाले सीधे साधे अनपढ़ काश्तकार होने से उन्हें कानून की बारिकीयों की जानकारी नहीं होने से जमाबंदी को देखने का काम ही नहीं पड़ा था,इसलिए पूर्व में उक्त आदेश की जानकारी नहीं हो सकी थी।

अधीनस्थ न्यायालय में हमारे पिता भागूराम को गलत रूप से गुमराह करके उसकी खातेदरी की भूमि को हड़प करने की नियत से गलत रूप से हरदीनराम,लिखमाराम,गोपाल ने अपने नाम बंटवाड़ा करवा लिया जबकि विधि अनुसार इस भूमि का बंटवाड़ा उनके मध्य नहीं हो सकता था,केवल रजिस्ट्री बेचान से ही हस्तान्तरण हो सकता था,क्योंकि वह प्रश्नगत भूमि के सहखातेदार दर्ज नहीं थे। तहसीलदार,मेड़ता द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह बंटवाड़ा किया हैं,जो गैर कानूनी हैं। तहसीलदार,मेड़ता के उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 19.06.2023 को प्रथम बार हुई तथा अपीलांट को यह जानकारी नहीं थी कि तहसीलदार के आदेश की अपील कहाँ होगी। इस जानकारी के लिए सलाह करने पर यह ज्ञात हुआ कि अपील न्यायालय जिला कलक्टर,नागौर में पेश होगी,तब गरीब काश्तकार होने से रूपये–पैसो की व्यवस्था करके दिनांक 23.06.2023 को अपीलांट नागौर आया तथा अपील तैयार करवायी गई। दिनांक 24.06.23 व 25.06.2023 का राजकीय अवकाश होने से अपील दिनांक 27.06.2023 को पेश की गई हैं,जो उक्त आदेश की जानकारी होते ही माननीय न्यायालय में पेश की गई हैं,जो अन्दर मयाद शुमार की जावें।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी तर्क हैं कि हमने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अपीलांट का तस्दीक सुदा शपथ–पत्र भी पेश किया हैं,जिस पर माननीय न्यायालय को विश्वास करके अपील अन्दर मयाद शुमार की जानी चाहिऐ। वैसे भी तहसीलदार,मेड़ता का आदेश क्षेत्राधिकार के बिना पारित किया गया आदेश हैं,इसलिए गैर कानूनी आदेश के विरूद्व अपील पेश करने में मयाद का बिन्दू लागू भी नहीं होता हैं। इसलिए निवेदन हैं कि अपील देरीना पेश करने में लगे समय को कन्डोन किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार किया जाकर अपील का निस्तारण मेरिट के आधार पर किया जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 ने जबाब बहस में यह निवेदन किया कि जैर अपील आदेश में दर्ज भूमियां पैत्रिक भूमियां थी तथा भागूराम बड़े भाई होने से तथा कर्ताखानदान की हैसियत से काम करने वाले व्यक्ति के नाम से खतौनी में सारी भूमियां दर्ज हो जाने से वे भूमियां अकेले उसकी नहीं हो जाती हैं। तहसीलदार,मेड़ता ने बंटवाड़ा की आराजी को पुस्तैनी माना हैं तथा यह भूमि भागूराम, हरदीनराम,गोपाल,लिखमाराम के सहअभिधारी की भूमि होने से तहसीलदार,मेड़ता द्वारा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाड़ा किया हैं,जो राज्य सरकार के परिपत्रों के तहत विधिवत किया गया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलेक्टर नागौर

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का यह भी तर्क हैं कि अपीलाधीन प्रकरण बंटवाड़ा होकर प्रकरण संख्या 520/1972 दर्ज होकर पूर्ण सुनवाई होकर अपीलांट के पिता स्वयं के द्वारा बंटवाड़े का आवेदन पेश करना व उनके द्वारा बंटवाड़ा की लिखत का स्टाम्प खरीद करना तथा 51 वर्षों से राजस्व रेकर्ड अलग2 दर्ज होना तथा मामला 51 साल पूर्व का हैं जिसकी जानकारी अपीलांट को व उसके पिता को शुरू से ही रहती चली आई हैं। चूंकि इन्होने ही आगे होकर बंटवाड़ा करवाया हैं तथा बाद बंटवाड़ा अपीलांट के पिता ने व अपीलांट ने इतने लम्बे समय तक बंटवाड़ा के हिसाब से बिघोड़िया चुकाई हैं,जिससे स्पष्ट हैं कि इस बंटवाड़ा की जानकारी अपीलांट व उसके पिता को तथा तमाम पक्षकारो को शुरू से रहती चली आई हैं। अनपढ़ काश्तकार अनपढ़ होने की वजह से अपने काश्तकारी की भूमियां अर्थात खेतो की जमीनो को पढ़े लिखे व्यक्ति से ज्यादा सावधानी से ध्यान रखता हैं और उपयोग उपभोग में लेता है,जिससे यह स्पष्ट हैं कि अपीलांट को व अपीलांट के पिता को शुरू से ही इस बंटवाड़ा की जानकारी थी। इस प्रकार अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज की जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 2/3 के अभिभाषक ने दौराने बहस अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार किये जाने का निवेदन किया हैं।

विद्वान वकील उभय पक्षकारान द्वारा पेश की गई उपरोक्त बहस पर मनन किया । पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,मेड़ता से प्राप्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। कार्यालय तहसीलदार,मेड़ता के प्रकरण संख्या 520/1972 अन्वान भागूराम वगैरा में आदेश दिनांक 21.06.1972 जारी कर भागूराम,हरदीनराम,गोपाराम,लिखमाराम के बीच प्रश्नगत भूमि का बंटवाड़ा कर राजस्व रेकार्ड में खाते दर्ज का आदेश दिया हैं। इस पत्रावली में भागूराम द्वारा कय स्टाम्प तीन रूपये पर बंटवाड़ा इकरारनामा लिखा गया हैं,जो दिनांक 18.04.1972 को तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया हैं,का इस आदेश में अंकन हैं,जिससे यह प्रकट हैं कि इस बंटवाड़ा की जानकारी भागूराम को शुरू से ही थी । अपील के साथ प्रस्तुत ग्राम मौकलपुर की जमाबंदी नकल खाता संख्या 647/568 सम्वत् 2076 के अवलोकन से उक्त खाते में काश्तकार का नाम भंवरूराम पुत्र भागूराम हिस्सा पूर्ण जाति–जाट देह खातेदार दर्ज हैं राहिन(पूर्ण खाता) एक्सिस बैंक शाखा,मौकाला के दर्ज हैं। इस जमाबंदी के राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि अपीलांट द्वारा अपने खाते की भूमि पर एक्सिस बैंक से ऋण प्राप्त किया हैं,इसलिए अपीलांट को ऋण पत्रावली तैयार करते समय तथाकथित बंटवाड़ा की पूर्ण रूप से जानकारी हो गई थी। इस प्रकार तथाकथित बंटवाड़ा की जानकारी भागूराम को शुरू से थी ही तथा उनके बेटे अपीलांट को भी खसरा नम्बर 198 की जमीन पर बैंक ऋण लिया तथा उसके कागजात तैयार किये उस समय हो चुकी थी परन्तु उन्होने इन सब तथ्यों को छुपाते हुवे इस अपील की विलम्ब अवधि को क्षमा करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र में सही तथ्य प्रकट नहीं किये हैं एवं न ही शपथ–पत्र में उनका अंकन किया है। अब लगभग 51 वर्ष बाद इस बंटवाड़ा को चुनौती दी है। इस प्रकार के इस असाधारण विलम्ब अवधि को क्षमा करने के पर्याप्त कारण अपने प्रार्थना–पत्र में अपीलांट द्वारा अंकन नहीं किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट अन्दर मयाद पेश नहीं की गई हैं। इसी के साथ अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 520/1972 में अपीलांट पक्षकार संयोजित नहीं हैं,उसके बावजूद उनके द्वारा यह अपील पेश की गई, जिसके लिए उनके द्वारा दफा 96 सी.पी.सी के प्रावधानों के तहत अपील पेश करते समय

कलक्टर नागौर

प्रार्थना–पत्र पेश करना था जो पेश नहीं किया हैं। अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी ग्राम मौकलपुर के खाता संख्या 647/568 के अनुसार खसरा नम्बर 198 एक्सिस बैंक शाखा मौकाला के राहिन दर्ज है,परन्तु बैंक अधिकारी जरिऐ सम्बन्धित बैंक को इस प्रकरण में पक्षकार रेस्पोडेन्ट संयोजित नहीं किया हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मयाद बाहर होने से तथा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार संयोजित नहीं किये जाने से तथा प्रकरण प्रस्तुत करते समय धारा 96 सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से अनुमति के प्रार्थना–पत्र का अभाव होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड मय निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावें।

निर्णय सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर